



रूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)
मध्य प्रदेश शासन



सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

क्रमांक 03/27/01/24016/22

यह प्रमाणित किया जाता है कि नवोदित शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति, सोसायटी जो 69 Rajshahi Garden Ambamoliya Road Bicholi Mardana Indore तहसील इन्दौर जिला इन्दौर में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) की धारा के अधीन तारीख 28 जनवरी 2022 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

दिनांक 28 जनवरी 2022

सोसायटियों के रजिस्ट्रार

Signature valid

Signed by: Assistant Registrar
on 1/28/2022 09:26 PM



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH


BV 155411

2/1

2

2

H


27.6.22
(बी. एस. सोलंका)

असि. रजिस्ट्रार
ऊर्ध्व एवं संस्थाएँ, इन्दौर सम्भाग
इन्दौर

9273

10 JUN 2022

100 X 1 = 100/- (कम है)

~~बताविए बंधनित 39 सामानिक विभाग~~
~~समिति सामान्य~~
~~जान कालकालिक विद्यालय नवला 800~~

~~आ. 5 - हस्त पुस्तक जारी~~

3897 4468 4422

Su


स्टार वेन्डर
विभिन्न पुस्तक

11. साधारण निकाय की शक्ति तथा उत्तरदायित्व- एक. पूर्व वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को मंजूरी देना। दो. सोसायटी की स्थाई निधियों तथा आस्तियों की उचित व्यवस्था करना। तीन. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षक नियुक्त करना। चार. ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार करना, जो कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लाया जाए। पांच. सोसायटी के अधीन चल रहे मंगठन के आय तथा व्यय लेखा की विवरणी को मंजूर करना। छ. वार्षिक बजट अनुमोदित करना।		
12. प्रबंधकारिणी समिति का गठन- ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यता रजिस्टर में नामांकित किए गए हैं, बहुमत से, प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे :- (क) अध्यक्ष (ख) उपाध्यक्ष (ग) सचिव (घ) कोषाध्यक्ष (ड.) संयुक्त सचिव और (च) दो सदस्य।		
13. प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल: प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति, नई प्रबंधकारिणी समिति के गठन तक कार्य करेगी, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकेगी और कालावधि का ऐसा विस्तार साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।		
14. प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व- (क) उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना, जिसके लिए सोसायटी का गठन किया गया है। (ख) प्रत्येक वर्ष साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की विवरणी के साथ पिछले वर्ष के भन्नी भांति परीक्षण किए गए, आय तथा व्यय, लेखा की सम्यक् रूप से संपरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना। (ग) सोसायटी के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना और सोसायटी की आस्तियों तथा स्थावर सम्पत्ति पर प्रभारित करों का भुगतान करना। (घ) आवश्यक कर्मचारिवृद्ध/ शिक्षकों की नियुक्ति करना। (ड.) ऐसे आवश्यक कृत्यों का निष्पादन करना, जैसे कि. समय समय साधारण सम्मिलन द्वारा समनुदेशित किए जाएं। (च) कोई स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना अंतरित या अन्यथा अर्जित या विक्रीत नहीं की जाएगी। (छ) सोसायटी की उप-विधियों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने, चर्चा करने और स्वीकृति के लिए विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा, संशोधन का संकल्प पारित करने के लिए इसे साधारण सम्मिलन के समक्ष रखा जाएगा। संशोधनों के लिए संकल्प पारित करने के लिए साधारण सम्मिलन का 2/3 बहुमत होना चाहिए और इसे विहित प्ररूप में अनुमोदन के लिए रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।		
15. अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त सम्मिलन तथा साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव के माध्यम से साधारण सम्मिलन के माध्यम-माध्यम प्रबंधकारिणी समिति की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष को निर्णयात्मक मत देने का अधिकार होगा।		
16. उपाध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।		
17. सचिव के अधिकार- (क) जब कभी भी आवश्यक हो, साधारण सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति के सम्मिलन बुलाना और समस्त आवेदन प्रस्तुत करना। (ख) आय तथा व्यय लेखाओं की विवरणी तैयार करना और संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित किए जाने के पश्चात् साधारण सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत करना। (ग) सोसायटी के समस्त कागज-पत्र तैयार करने के लिए व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो रिपोर्ट, सूचना के लिए प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष रखी जानी चाहिए। (घ) सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होगा।		
18. संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपस्थिति में, संयुक्त सचिव, सचिव की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।		
19. कोषाध्यक्ष के अधिकार- सोसायटी के लेखाओं का संधारण करना और प्रबंधकारिणी समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से मंजूर किए गए व्यय करना।		
20. बैंक खाता- सोसायटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जाएंगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/ सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जाएगा। दैनिक खर्च के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।		
21. रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन विहित प्ररूप में प्रबंधकारिणी समिति की सूची, सोसायटी के वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संपरीक्षित लेखे, प्रतिवर्ष विहित ममय में प्रस्तुत किए जाएंगे।		
22. विघटन- सोसायटी द्वारा, उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा विघटन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया, यदि अधिनियम के उपबंधों के अनुक्रम हो तो निष्पादित की जाएगी।		
23. सम्पत्ति- समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के नाम से होगी। सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति (स्थिर आस्तियां), सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा व्ययनित या अर्जित नहीं की जा सकेगी।		
हम निम्नानुसार पदाधिकारी/ सदस्य आदर्श उप-विधियां प्ररूप-एक क को सोसायटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।		
हस्ताक्षर Signature valid Signed by: Adhyaksh/Member अध्यक्ष / सदस्य on 1/26/2022 2:11:33 PM	हस्ताक्षर Signature valid Signed by: Sachiv/Member सचिव / सदस्य on 1/26/2022 2:13:16 PM	हस्ताक्षर Signature valid Signed by: kosh कोषाध्यक्ष / सदस्य on 1/26/2022 2:15:04 PM

(बी. एस. सोलंकी)

अध्यक्ष रजिस्ट्रार

सदस्य एवं संस्थाएं, इन्दौर संस्थाएं

हस्ताक्षर

399/22

27/6/22

प्ररूप-1क
(नियम 3 देखिए)
(सोसायटी की उप-विधियां)

आवेदन क्रमांक : S3150107796311012022

अनुमोदन दिनांक : 25 Jan 2022

1.	सोसायटी का नाम नवोदित शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 69 rajshahi garden ambamoliya road bicholi mardana indore 452016 तहसील इन्दौर जिला इन्दौर मध्य प्रदेश में स्थित होगा। मोबाईल क्रमांक(अध्यक्ष/सचिव) 9302106056 एवं ईमेल आईडी r9educationindore@gmail.com
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश होगा।
4.	सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-
1	तकनीकी शिक्षा के प्रचार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना। साथ ही तकनीकी शिक्षा में योग्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
2	अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु शासन की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
3	विज्ञान, शिक्षा, साहित्य या ललित कलाओं की अभिवृद्धि के लिये
4	विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना तथा वैज्ञानिक गतिविधियों से जन-साधारण को अवगत कराना।
5	स्कूलों, कॉलेजों तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों जैसे- साक्षरता केन्द्र, संस्कार शिक्षा केन्द्र का संचालन करना।
6	सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति को जन-जन तक पहुंचाना एवं कम्प्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना प्राकृतिक, जीव विज्ञान एवं चिकित्सा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। साथ ही नर्सिंग, पैरामेडीकल, प्राकृतिक, वैदिक, आयुर्वेदिक,
7	होम्योपैथिक, यूनानी, एलोपैथिक चिकित्सा की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
8	(OTHER) स्किल क्षेत्रों के बढ़ाने के लिए स्किल योजनाओ एवं पाठ्यक्रम का संचालन करना
9	(OTHER) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्कूल कॉलेज का संचालन करना
5.	सोसायटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-
(क)	संरक्षक सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपए 1,000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर 12 किश्तों में भुगतान करता है, सोसायटी का संरक्षक सदस्य होगा।
(ख)	आजीवन सदस्य वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसायटी का आजीवन सदस्य होगा।
(ग)	साधारण सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपए 10/- प्रतिमाह या रूपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान का भुगतान करता है।
(घ)	मानद सदस्य- सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों को मानद सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, किन्तु वे मतदान के लिए हकदार नहीं होंगे।
6.	सदस्यता की करना-प्रत्येक व्यक्ति, जो सदस्य बनने का ईच्छुक हो, उसे प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।
7.	सदस्यता के लिए अर्हता- सोसायटी की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं अनिवार्य हैं:-
1.	आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
2.	उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
3.	उसे सोसायटी के नियमों में विश्वास हो तथा वह उनका अनुसार करता हो।
4.	सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।
8.	सदस्यता की समाप्ति- सोसायटी की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी स्थिति में समाप्त हो जाएगी:-
1.	मृत्यु हो जाने पर।
2.	पागल हो जाने पर।
3.	नियम 5 के अनुसार सोसायटी की सदस्यता का अंशदान जमा करने में अगफल रहने पर।
4.	त्याग पत्र देने पर, यदि स्वीकृत हो जाता है तो।
5.	कोई सिद्ध नैतिक अधमता और प्रबंधकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा निष्कासन से संबंधित निर्णय। ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।
9.	सदस्यों की सदस्यता पंजी संघारित की जाएगी:-
1.	प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, उपजीविका तथा तारीख सहित हस्ताक्षर
2.	रसीद क्रमांक के साथ सदस्यों के प्रवेश की तारीख।
3.	सदस्यता की समाप्ति की तारीख।
10.	(क) साधारण सम्मिलन- ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 के अधीन दर्शाए गए हैं, साधारण सम्मिलन में भाग लेने के हकदार होंगे। सम्मिलन, जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित किया जाएगा। एक वर्ष में कम से कम एक साधारण सम्मिलन आयोजित किया जाना अनिवार्य है। साधारण सम्मिलन का समय, स्थान और तारीख, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी और सभी सदस्यों को साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में संसूचित की जाएगी। सम्मिलन की गणपूर्ति 3/5 सदस्यों से होगी। सोसायटी का पहला साधारण सम्मिलन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 3 माह के भीतर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन किया जाएगा। (ख) प्रबंधकारिणी समिति- प्रबंधकारिणी समिति का सम्मिलन प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा और उसके लिए पूर्वमूचना प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को, सम्मिलन कम से कम सात दिन पूर्व, से सूचित की जानी चाहिए। सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी।

S3150107796311012022



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BV 155410

Handwritten text on the stamp: '100' on the left, '2' in the middle, and '100' on the right, all written diagonally across the stamp's grid.

Handwritten signature and date: '27.6.22' and 'डॉ. ए. सोहन' (Dr. A. Sohan).

Handwritten mark resembling a checkmark or the number '7' at the bottom right of the page.

1272

100X1 = 1007

(पत्र संख्या)

10 JUN 2022

~~जावा विद्या बोधविद्यालय (पत्र संख्या) विद्यालय~~

~~समिति साधना~~

~~एम डेवमलिका विद्यालय मुंबई~~

~~Sumi~~

का. सं. ४४१७ ५५६८ ५५२२

४४१७ ५५६८ ५५२२

Sumi


स्टाम्प वेन्डर
विद्यालय

सोसायटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक SBIN0006159147511012022195431

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Driving License

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Driving License

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

पहचान पत्र का क्रमांक MP09N20090199899

पते का क्रमांक MP09N20090199899

Signature valid

Signed by Witness on
1/26/2022 2:41:06 PM

साक्षी:- /> हस्ताक्षर :-.....

साक्षी का नाम :- Arpit Choudhary

साक्षी का पिता/पति:- Subhash Choudhary

पूर्ण पता :- 445 siroliya post siroliya dist dewas

साक्षी का मोबाइल नंबर :- 7000439435

साक्षी का ईमेल आईडी :- arpitc1470@gmail.com

हम सत्यापित करते हैं।

सोसायटी के पंजीयन के संबंध में मार्गदर्शी बिन्दु

1 ज्ञापन पत्र में निर्धारित स्थान पर समस्त निर्माणकर्ताओं एवं साक्षी के हस्ताक्षर/E-Sign यथा स्थान होना चाहिये।

T.C
27.6.22
श्री. एम. सोलंकी

3	Abhijeet jain / ajit jain	Near jain mandir 426 goyal nagar indore, Near jain mandir 426 goyal nagar indore, Indore, Indore, Madhya Pradesh	06/04/1986	9993599999	Business	सचिव	Signature valid Signed by Sachiv on 1/26/2022 2:21:06 PM
4	Khalik / mohammed varis	60 hansakhedi khudel buzurg indore mp, 60 hansakhedi khudel buzurg indore mp, Indore, Indore, Madhya Pradesh	01/09/1990	9826731011	krishi	कोषाध्यक्ष	Signature valid Signed by: kosh Adhyaksha on 1/26/2022 2:23:06 PM
5	Pulkit jain / ajit jain	426 goyal nagar indore, 426 goyal nagar indore, Indore, Indore, Madhya Pradesh	25/06/1987	9826868877	Business	संयुक्त सचिव	Signature valid Signed by sanyukt sachiv on 1/26/2022 2:24:55 PM
6	Wasim / mohammed varis	08 hansakhedi khudel buzurg indore mp, 08 hansakhedi khudel buzurg indore mp, Indore, Indore, Madhya Pradesh	05/05/1990	9754638388	krishi	सदस्य	Signature valid Signed by sadasya on 1/26/2022 2:30:31 PM
7	Aslam kha / Bhuru kha	09 hansakhedi khudel buzurg indore mp, 09 hansakhedi khudel buzurg indore mp, Indore, Indore, Madhya Pradesh	18/08/1982	9926596631	krishi	सदस्य	Signature valid Signed by sadasya on 1/26/2022 2:40:09 PM



WARIS

399/22

27/6/22

प्रारूप-1

(नियम 3 देखिए)

रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसायटी का ज्ञापन

आवेदन क्रमांक : S3150107796311012022

अनुमोदन दिनांक : 25 Jan 2022

- सोसायटी का नाम नवोदित शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति होगा।
- सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 69 rajshahi garden ambamoliya road bicholi mardana indore 452016 तहसील Indore जिला Indore मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 9302106056 ईमेल आईडी r9educationindore@gmail.com
- सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-
 - तकनीकी शिक्षा के प्रचार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना। साथ ही तकनीकी शिक्षा में योग्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
 - अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु शासन की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
 - विज्ञान, शिक्षा, साहित्य या ललित कलाओं की अभिवृद्धि के लिये
 - विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना तथा वैज्ञानिक गतिविधियों से जन-साधारण को अवगत कराना।
 - स्कूलों, कॉलेजों तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों जैसे- माधुरता केन्द्र, संस्कार शिक्षा केन्द्र का संचालन करना।
 - सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति को जन-जन तक पहुंचाना एवं कम्प्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना प्राकृतिक, जीव विज्ञान एवं चिकित्सा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। साथ ही नर्सिंग, पैरामेडीकल, प्राकृतिक, वैदिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, एलोपैथिक चिकित्सा की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
 - (OTHER) स्किल क्षेत्रों के बढ़ाने के लिए स्किल योजनाओं एवं पाठ्यक्रम का संचालन करना
 - (OTHER) अल्पमंड्यक समुदाय के लिए स्कूल कॉलेज का संचालन करना
- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973)-की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति संगम ज्ञापन के साथ फाईल की गई है। हम, विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम, पते, व्यवसाय एवं अन्य विवरण नीचे उल्लिखित हैं, पूर्वोक्त संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और माथी की उपस्थिति में हमने ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, संचालक परिषद, समिति या शासी निकाय को सोसायटी के सदस्यों के बीच न्यस्त किया गया है जो नीचे विनिर्दिष्ट है-

अनुक्रमांक (1)	पिता/पति के नाम के साथ हस्ताक्षर करने वालों के नाम (2)	पूरा पता (3)	जन्मतिथि/ आयु (4)	मोबाइल नंबर (5)	उपजीविका (6)	तदर्थ शासी निकाय में पद धारित करने की दशा में पदनाम (7)	हस्ताक्षर (8)
1	Mo varis / ajji	05 hansakhedi khudel buzurg indore mp, 05 hansakhedi khudel buzurg indore mp, Indore, Indore, Madhya Pradesh	01/01/1969	9302106056	krishi	अध्यक्ष	Signature valid Signed by Adhyaksh on 1/26/2022 2:17:11 PM
2	Jahid / waris	06 hansakhedi khudel buzurg indore mp, 06 hansakhedi khudel buzurg indore mp, Indore, Indore, Madhya Pradesh	15/01/1991	9826856031	krishi	उपाध्यक्ष	Signature valid Signed by UpAdhyaksh on 1/26/2022 2:19:39 PM

Mail Id - r9educationindore@gmail.com

Password – Varis@123